आरटीआई से संबंधित मामला

फाइल सं0 10-4/2010-आरटीआई
भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(आरटीआई अनुभाग)

510, संचार भवन,
नई दिल्ली-110 001
दिनांक : 8 नवंबर, 2010

विषय : **लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) को लागू करने के संबंध में ।**

मुझे उपर्युक्त विषय पर आरटीआई अनुभाग के दिनांक 18.2.2009 एवं 04.3.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं0 10-4/2009-आरटीआई का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.9.2007 के परिपत्र सं0 1/18/2007-आईआर भी सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

2. अधिनियम के अन्य उपबंधों में धारा 4(1) उप धाराएं (i) से (xii) के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी को यह निदेश दिया गया है कि वे इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न माध्यमों के तहत नियमित अंतरालों पर जनता को अपनी ओर से यथा संभव सूचना उपलब्ध कराएं ताकि जनता सूचना प्राप्ति हेतु इस अधिनियम का कम से कम उपयोग करें।

3. इस दिशा में अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अनुरूप वांछित सूचना पहली बार 2005--06 के दौरान सूचना का अधिकार लिंक में दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर डाली गई तथा 2009-10 के दौरान इसे अद्यतन किया गया। तथापि, सूचना का नियमित रूप से अद्यतन किया जाना आवश्यक है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। जनता से इस संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना अद्यतन नहीं है।

4. उपर्युक्त के मद्देनज़र, संबंधित प्रभागों/स्कंधों के केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों से अनुरोध है कि वे मामले की जांच करें तथा लिंक पर अद्यतनतम सूचना उपलब्ध कराएं तथा सूचना अद्यतन करने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई करें तथा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट अनिवार्यतः आरटीआई अनुभाग को उपलब्ध कराएं। इन कार्रवाइयों से लोक प्राधिकारियों को प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या धीरे-धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध अधिकतम सूचना का लाभ जनता द्वारा उठाया जाएगा।

5. **यहां यह दोहराया जाता है कि संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा अपने स्कंध से संबंधित अपेक्षित सूचना निदेशक (आईटी) को समग्र रूप से भेजी जाए ताकि इस कार्यालय ज्ञापन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर विभाग की वेबसाइट पर सूचना को अपेक्षित रूप से अद्यतन किया जा सके और इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दी जा सके।**

(एस0एल0 नेगी)
निदेशक (समन्वय) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
दूरभाष सं0 23036225

संलग्नक : यथोक्त ।

सेवा में

1. दूरसंचार विभाग के सभी केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सूची के अनुसार) ।
2. बीएसएनएल/एमटीएनएल/सी-डॉट/टीआरएआई/टीडीएसएटी/टीईसी/आईटीआई/टीसीआईएल के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी।
3. ✓ निदेशक (आईटी), दूरसंचार विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे प्रत्येक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित अद्यतन सामग्री विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

<u>सूचनार्थ प्रति</u> : दूरसंचार विभाग के सभी अपीलीय प्राधिकारी ।

<u>सूचनार्थ</u> : सचिव (टी)/अपर सचिव (टी)/संयुक्त सचिव (प्रशा0) के निजी सचिव।